डीआरडीए कर्मियों के मानदेय में वृद्धि

हिन्दुस्तान, दिनांक 05-09-14

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) में अनुबंध पर तैनात कर्मियों के मानदेय में लगभग दोगुनी की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि एक अगस्त 2014 से ही प्रभावी होगी।

ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी है। वर्ष 2007 के बाद यह पहली वृद्धि है। लिपिक, टंकक, सहायक, लेखापाल आदि का वेतन आठ हजार से बढ़ा कर 15 हजार किया गया है। इसी प्रकार तकनीकी सहायक, सांख्यिकी अन्वेषक का वेतन 10 हजार से बढ़ा कर 19 हजार, कार्यालय अधीक्षक का 11 हजार से बढ़ाकर 20,500, परियोजना अर्थशास्त्री, लेखा पदाधिकारी का 12 हजार से 22,500, सहायक अभियंता का 12 हजार से 22,500 और कार्यपालक अभियंता का बीस हजार से बढ़ाकर 37,500 कर दिया गया है।

पंद्रह हजार वेतन के आधार पर पेंशन की कटौती

कर्मचारी पेंशन योजना-95 के तहत पेंशन की राशि न्यूनतम एक हजार कर दी गई है। साथ ही किसी भी सदस्य के अंशदान की गणना अधिकतम 15000 रुपए तक के वेतन पर होगी। इसी वेतन पर पेंशन योग्य कटौती की जाएगी, जो पहले 6500 रुपए के आधार पर की जाती थी। यह जानकारी क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त डॉ. एके सिंह ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस में दी। नई व्यवस्था सितंबर से लागू कर दी गई है। हजार रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन विधवा-विधुर, नामित, आश्रित व अभिभावक पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा बाल पेंशन 250 रुपए और अनाथ पेंशन 750 रुपए मिलेंगी। पहले पेंशन निर्धारण के लिए वेतन की गणना अंतिम 12 माह के औसत वेतन के आधार पर होती थी। इसे बढ़ा कर साठ माह कर दिया गया है।